"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 19, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2015 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (कक्ष एस-2-21) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियम

अध्याय-एक

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2015 कहलायेंगे।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30);
   (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न;

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

अध्याय—दो

अपेक्षक निकाय का प्रस्ताव

3. **प्रस्ताव की प्रस्तुति.**— लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के लिये अपेक्षक निकाय, संबंधित भूमि के भू—अभिलेख की प्रतियों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

4. **लागत का अर्जन.**— अपेक्षक निकाय, उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (झ) के उप—खण्ड (छः) एवं (सात) के अनुसार अर्जन की लागत कलेक्टर के पास जमा करेगा।

5. **प्रस्ताव के साथ जानकारी का प्रस्तुत किया जाना.**— अपेक्षक निकाय, नियम 4 एवं 5 के उपबंधों के सम्यक् रूप से पालन करने के पश्चात्, निम्नलिखित जानकारी अपने प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करेगाः—

(एक) लोक प्रयोजन, जो ऐसे अर्जन द्वारा पूरा किया जाना है;

(दो) ऐसे परिवारों की संख्या का प्राक्कलन, जो अर्जन से प्रभावित हैं;

(तीन) शासकीय भूमि, मकानों तथा अन्य आस्तियाँ, जो अर्जन से प्रभावित हैं;

(चार) निजी भूमि, मकानों तथा अन्य आस्तियाँ, जो अर्जन से प्रभावित हैं;

(पांच) अर्जित किया जाने वाला क्षेत्र, प्रस्तावित परियोजना के लिये न्यूनतम क्षेत्र है;

(छः) इस संबंध में प्रमाणपत्र कि परियोजना के लिये अनुकल्पी (दूसरा) क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं;

(सात) परियोजना के सामाजिक समाघातों, उनके उपचार तथा उनकी संभावित लागत; और

(आठ) परियोजना की लागत तथा उसके लाभों का तुलनात्मक अध्ययन।

अध्याय—तीन

सामाजिक समाघात का निर्धारण

6. **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.**— अपेक्षक निकाय से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, यदि समुचित सरकार को प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन आवश्यक है, तो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी मामलों का निराकरण किया जायेगा तथा संबंधित भू—अभिलेखों को अद्यतन किया जायेगा।

7. **अधिसूचना का जारी किया जाना.**– नियम 4 के अंतर्गत राशि प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर कलेक्टर, प्ररूप–एक में एक अधिसूचना जारी करेगा।

8. **संबंधित स्थानीय निकायों में उपलब्ध कराई जाने वाली अधिसूचना.**– नियम 7 के अधीन जारी की गई अधिसूचना, संबंधित स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका एवं नगर निगम) एवं जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा जनपद पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। उसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में सहजदृश्य स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर करेगा तथा उद्घोषणा (मुनादी) भी करायेगा।

9. **जन सुनवाई.**– जन सुनवाई का प्रभावित क्षेत्र में आयोजन, सामाजिक समाघात निर्धारण के पश्चात्, ऐसे क्षेत्र के स्थान में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में, पर्याप्त प्रचार प्रसार करते हुए किया जायेगा, जिनमें से एक प्रभावित क्षेत्र की स्थानीय भाषा में होगाः

परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम सभा की सहमति प्राप्त की जायेगी।

10. **अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संबंधित जिले के कार्यालयीन वेबसाईट में अपलोड की जायेगी.**– अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संबंधित जिले के कार्यालयीन वेबसाईट में भी अपलोड की जायेगी। कलेक्टर का दायित्व यह सुनिश्चित करने का होगा कि अपलोड की गई अधिसूचना शुद्ध तथा प्रमाणिक हो।

11. **सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन.**– कलेक्टर, प्रत्येक परियोजना में निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण दल की नियुक्ति हेतु उत्तरदायी होगा, अर्थात्:–

(क) गैर–शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक – एक

(ख) स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि – दो

(ग) पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ – एक

(घ) परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ – एक

(ङ) प्रभावित क्षेत्र का तहसीलदार – एक

12. **अपेक्षक निकाय का नियम 5 के अंतर्गत उत्तरदायित्व.**– नियम 5 के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता हेतु अपेक्षक निकाय उत्तरदायी होगा।

13. **सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना.**– नियम 11 के अंतर्गत नियुक्त किये गये दल को अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन समुचित सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

14. प्रभावित व्यक्तियों की सहमति का प्रस्तुत किया जाना.— नियम 11 के अधीन नियुक्त किये गये दल को अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (2) के प्रथम परंतुक के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों की सहमति भी प्रस्तुत करनी होगी।

15. सहमति प्ररूप–दो में प्राप्त की जायेगी.— प्रभावित व्यक्तियों की सहमति प्ररूप–दो में प्राप्त की जायेगी।

16. अधिनियम की अनुसूची एक एवं दो के प्रावधानों को प्रभावित व्यक्तियों को समझाया जायेगा.— नियम 15 के अधीन प्रभावित व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करने के पूर्व, अधिनियम की अनुसूची एक एवं दो के प्रावधानों को प्रभावित व्यक्तियों को समझाया जायेगा।

17. भूमि का सहमति मूल्य, बाजार मूल्य से कम नहीं होगा.— अधिनियम की धारा 26 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत भूमि का सहमति मूल्य, कलेक्टर द्वारा निर्धारित भूमि की वास्तविक बाजार मूल्य अथवा गाईड लाईन दर, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

18. मुआवजे की रकम सहमति मूल्य से कम नहीं होगी.— मुआवजे की रकम, किसी भी मामले में नियम 17 के अनुसार सहमति मूल्य से कम नहीं होगी।

19. संस्थागत सहायता और सामाजिक समाघात निर्धारण को सुकर बनाना.— (1) समुचित सरकार एक स्वतंत्र इकाई की पहचान करेगी या उसे स्थापित करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण का अधीक्षण एवं संचालन, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षक निकाय से भिन्न व्यक्ति या निकायों द्वारा किया जायेगा।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई निम्नलिखित कार्य के लिये वचनबद्ध होगी, अर्थात्:–

(क) सामाजिक समाघात निर्धारण संसाधन भागीदारों के विशेषज्ञ तथा व्यवसायियों, जो वैयक्तिक या संस्थागत नेटवर्क के रूप में अपनी सेवायें देते हों, की डाटाबेस बनाना।

(ख) समुचित सरकार के सामाजिक समाघात निर्धारण प्रस्तावों पर त्वरित प्रत्युत्तर देना।

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण दलों के लिये प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन तथा यथा अपेक्षित नियमावली, उपकरण, तुलनात्मक प्रकरण अध्ययन प्रतिवेदन तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।

(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आवश्यक सहयोग तथा समर्थन प्रदान करना।

(ङ) सामाजिक समाघात निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु निरंतर उपाय करना।

20. **सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु संदर्भित परियोजना–विशेष निर्बंधन तथा प्रसंस्करण शुल्क.–** जहाँ समुचित सरकार लोक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन का आशय रखती है, वहाँ ऐसी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ नियम 19 (1) के अधीन नियुक्त इकाई को भेजा जायेगा, जोः–

(क) भूमि अर्जन के प्रत्येक प्रस्ताव हेतु संदर्भित परियोजना विशेष निर्बंधन का विवरण तैयार करेगी, ऐसे क्रियाकलाप, जो कि समुचित दल का आकार (दल के सदस्यों की संख्या) तथा दल के सदस्यों की रूपरेखा को उपदर्शित करते हुए क्रियान्वित की जायेगी, को सूचीबद्ध करेगी तथा प्ररूप–पांच की विषयवस्तु तथा प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु अंतिम तिथि भी दर्शायी जायेगी।

(ख) प्रत्येक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिये लागत के विभाजन को स्पष्ट करते हुए अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण शुल्क अवधारित करेगीः

परंतु अनुमानित शुल्क राशि, समुचित सरकार द्वारा नियत न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी। यदि नियम 4 के अंतर्गत अपेक्षक निकाय द्वारा जमा की गई राशि संचालित किये जा रहे सामाजिक समाघात निर्धारण की लागत से कम होती है, तो अपेक्षक निकाय द्वारा अंतर की राशि जमा की जायेगी।

21. **सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन.–** (1) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, प्रत्येक परियोजना के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण दल में सम्मिलित किये जाने के प्रयोजन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों/संस्थाओं में से अर्हित व्यक्तियों/संस्थाओं को अवधारित करेगीः

परंतु अपेक्षक निकाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, इस दल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण दल के समस्त सदस्यों से इस आशय का वचनपत्र लिया जायेगा कि वह या उसके परिवार के सदस्यगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपेक्षक निकाय के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं हैं।

(3) यदि किसी स्तर पर, दल का कोई सदस्य या परिवार का कोई सदस्य, अपेक्षक निकाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करता है, तो वह सदस्य निरर्हित हो जायेगा।

(4) दल में स्वतंत्र व्यवसायियों, अर्हित सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों तथा तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा।

(5) दल में कम से कम एक महिला सदस्य होगी।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल से एक को दल का नेता नियुक्त किया जायेगा।

22. **सामाजिक समाघात निर्धारण संचालित करने की प्रक्रिया.**– (1) सामाजिक समाघात निर्धारण दल, प्रभावित क्षेत्र के मात्रात्मक तथा संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित करेगा तथा उनका विश्लेषण करेगा, क्षेत्र के भ्रमण का उत्तरदायित्व लेगा, सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन तैयार करने में सामूहिक चर्चा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसे सहभागितापूर्ण तरीके का उपयोग करना।

(2) सभी सुसंगत रिपोर्ट तथा संभाव्यता अध्ययन, सामाजिक समाघात निर्धारण दल को, अपेक्षा के अनुसार, उपलब्ध कराई जायेगी। कलेक्टर का दायित्व यह सुनिश्चित करने का होगा कि सामाजिक समाघात निर्धारण दल से जानकारी के लिये कोई अनुरोध पूर्ववर्ती समय पर, दस दिवस से अधिक का न हो, प्राप्त हुआ है।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा सभी सुसंगत भू–अभिलेखों और आंकड़े, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के समीक्षा और तुलना के विश्लेषणों के माध्यम पर आधारित एक विस्तृत निर्धारण का संचालन किया जायेगा। निर्धारण निम्नलिखित का अवधारण करेगा, अर्थात्:–

(क) प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत समाघात का क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र, जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे, दोनों सम्मिलित है;

(ख) परियोजना के लिये अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण;

(ग) अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि, परियोजना हेतु अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल है;

(घ) परियोजना के लिये संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी संभाव्यता;

(ङ) क्या अनुसूचित क्षेत्र में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि, प्रत्यक्ष अंतिम उपाय है;

(च) भूमि, यदि कोई हो, किन्हीं साधनों द्वारा पहले से ही अर्जित की गई हो तथा परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि के प्रत्येक भू–खण्ड का आशयित उपयोग;

(छ) परियोजना के लिये किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना तथा क्या ऐसी कोई भूमि कब्जे के अधीन है;

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि यह कृषि भूमि है, तो उक्त भूमि पर सिंचाई की मात्रा;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष प्रावधानों का अनुसरण किया जायेगा;

(ञ) खातों का आकार (सीमांत तथा लघु कृषक), आवासीय मकानों की संख्या तथा शासकीय एवं निजी अधोसंरचना एवं आस्तियाँ; और

(ट) गत तीन वर्षों में भूमि का मूल्य, अंतरण तथा भूमि का उपयोग।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण दल, भू–अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात्, विस्थापित व्यक्तियों तथा परिवारों की वास्तविक संख्या की गणना करेगा।

(5) उपलब्ध आंकड़ों तथा किये गये भ्रमण एवं प्ररूप–तीन में किये गये परामर्श के आधार पर, प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार की जायेगीः

परंतु, परियोजना में जहाँ पुनर्व्यवस्थापन अपेक्षित है, चिन्हांकित पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का भ्रमण किया जायेगा तथा उनके वर्तमान आवास की जनसंख्या उपदर्शित की जायेगी।

(6) संग्रहित आंकड़ों पर आधारित तथा प्रस्तावित परियोजना से सहबद्ध सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक समाघात का विस्तार तथा सघनता, भू–अर्जन की रीति, प्रपत्र–तीन में विहित अनुसार होगा।

(7) (क) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के तैयार किये जाने को भी सम्मिलित करती है, जो पहचान किये गये सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिये किये जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा लागत, सामयिकता तथा क्षमता के स्पष्ट विवरण सहित समाघात शमन तथा प्रबंधन युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जायेगा।

(ग) सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में निम्नलिखित उपायों को सम्मिलित किया जायेगाः–

(एक) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित परिवारों के सभी वर्गों के लिये पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रतिकर के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशिष्टियां;

(दो) प्रस्तावित परियोजना तथा अन्य सुसंगत परियोजना के दस्तावेजों में अपेक्षक निकाय द्वारा कथन; तथा

(तीन) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाई के दौरान अपेक्षक निकाय द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त उपाय।

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा प्रस्तावित परियोजना और भू–अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों तथा लाभों के संतुलन और वितरण का

निश्चायक निर्धारण, शमन उपाय सहित, उपलब्ध कराना होगा और इस संबंध में निर्धारण करना कि क्या प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक है, जिनके प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभूत किये जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात् भी, प्रभावित परिवार उक्त भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में है।

(9) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में, प्ररूप–चार में अंतर्विष्ट विषयवस्तु होगी।

अध्याय–चार

जन सुनवाई

23. **जन सुनवाई आयोजित करने की प्रक्रिया.**– (1) सामाजिक समाघात के निष्कर्षों पर प्रतिपुष्टि चाहने तथा अतिरिक्त जानकारी एवं दृष्टिकोण, जो अंतिम प्रतिवेदन में अभिलिखित एवं निगमित हो, लेने के लिये प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई आयोजित की जायेगी।

(2) जन सुनवाई का आयोजन उन सभी ग्राम सभाओं या वार्ड में किया जायेगा, जहाँ के 25 प्रतिशत से अधिक सदस्य, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि अधिग्रहण द्वारा प्रभावित हों।

(3) जन सुनवाई की तारीख एवं स्थान को दर्शित करने वाली सूचना तीन सप्ताह पूर्व ग्राम/वार्ड में सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर प्रकाशित की जायेगी तथा उद्घोषणा (मुनादी) करायी जायेगी। सूचना की एक प्रति जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी एवं राज्य शासन की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(4) ग्राम सभा के लिये, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) द्वारा नियत वयस्क सदस्य की न्यूनतम संख्या तथा बैठक हेतु कोरम वार्ड के वयस्क सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत सदस्य से पूरा होगा। यदि पहली बैठक में कोरम पूरा नहीं होता, तो उसके बाद अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के प्रारूप को, प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय भाषा में अपेक्षक निकाय द्वारा बुकलेट के रूप में परिचालित किया जायेगा तथा जन सुनवाई में प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का एक सदस्य, जन सुनवाई, जो संबंधित भूमि अर्जन अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जायेगा, को सुकर बनाने के लिये नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(7) सभी कार्यवाहियां हिन्दी और स्थानीय भाषा में होंगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सहभागी कार्यवाहियों को समझ रहे हैं और अपना दृष्टिकोण (विचार) व्यक्त करने में समर्थ हैं।

(8) भूमि अर्जन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि, जन सुनवाई में भी उपस्थित रहेगा और प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाये गये प्रश्नों एवं समस्याओं पर व्याख्यान देगा।

(9) जन प्रतिनिधियों, स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों, अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं मीडिया को भी जन सुनवाई में आमंत्रित किया जायेगा।

(10) जन सुनवाई की कार्यवाहियों की विडियो रिकार्डिंग की जायेगी तथा रिकार्डिंग को अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(11) जन सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों की रिकार्डिंग की जायेगी तथा सामाजिक समाघात निर्धारण दल यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी प्रत्येक आपत्ति पर विचार कर लिया गया है एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में निराकृत कर लिया गया है।

(12) जन सुनवाईयों की समाप्ति के पश्चात्, सामाजिक समाघात निर्धारण दल लोक अधिवेशनों में प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगा और राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई को प्रस्तुत किये जाने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सारांश को अपने विश्लेषण सहित समाविष्ट करेगा।

24. **सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्रकाशन.**– सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना ग्राम/वार्ड में सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर प्रकाशित की जायेगी एवं उद्घोषणा (मुनादी) भी करायी जायेगी। सूचना की एक प्रति जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार के कार्यालय में भी प्रकाशित की जायेगी एवं राज्य शासन की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

25. **विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का मूल्यांकन.**– अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा एवं अपनी संस्तुतियों को दो माह की कालावधि के भीतर प्रभावी बनायेगा।

26. **विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों पर विचार.**– समुचित सरकार, विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों परः–

(क) न्यूनतम विस्थापन;

(ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा;

(ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव।

को सुनिश्चित करने हेतु विचार करेगी।

27. **अधिसूचना का प्रकाशन एवं घोषणा.**– विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात्, समुचित सरकार अपने निर्णय को राजपत्र में अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विहित प्ररूप में प्रकाशित करेगी, ऐसा प्रकाशन केवल अपेक्षक निकाय द्वारा अर्जन की लागत जमा करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

प्ररूप—एक

(नियम 7 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

....

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:—

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) ....को (समय) .... बजे (स्थान) .... पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या। (छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?

(आठ) परियोजना की कुल लागत।

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ।

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

जिला कलेक्टर

प्ररूप—दो

(नियम 15 देखिए)

भाग—क—पूर्व लिखित सहमति / घोषणा प्ररूप

स. क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नामः		
2.	पति / पत्नी का नामः		
3.	पिता / माता का नामः		
4.	पताः		
5.	ग्राम / बस्तीः		
6.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीयः		
7.	तहसील / तालुकाः		
8.	जिलाः		
9.	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नामः (बच्चों और आश्रित वयस्कों सहित)		
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तारः		
11.	अर्जन के लिए क्षेत्रः		
12.	प्लाट नं. :		
13.	अधिकारों का अभिलेखः		
14.	विवादित भूमि, यदि कोई होः		
15.	पट्टा / लीज / अनुदान, यदि कोई होः		
16.	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो :		
17.	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूं (कृपया गोला लगाएं) :		
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुना दिया गया है और .... भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हाँ	नहीं

	(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हाँ	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हाँ	नहीं
	प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, निबंधन एवं शर्तें, प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्तें प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।		
	हस्ताक्षरित प्ररूप लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे सहमति देने से इंकार करते हैं या यदि वे यह कथन चुनते हैं कि वे इस प्ररूप पर सहमति नहीं देते हैं, तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें कोई हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है। इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य, जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे, जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे, सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है, तो यह प्ररूप अकृत और शून्य है।		

भाग–ख–ग्राम सभा के संकल्प के लिये प्ररूप

हम, ...जिले में ....तहसील/तालुका की .... पंचायत के भीतर.......................... की ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित सदस्य कथन करना चाहते हैं कि, निम्नलिखित प्रमाणीकरण प्रशासन और पदधारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर है। यदि यह जानकारी अपूर्ण है या गलत है या यदि कोई सहमति किसी धमकी, कपट या मिथ्या निरूपण का प्रयोग करके प्राप्त की गई है, तो यह अकृत और शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा प्रमाणित करती है कि प्रस्तावित..परियोजना को सहमति/सहमति से इंकार किया जाता है, जिसमें;

..........................एकड़ निजी भूमि का अर्जन।

परियोजना के लिये ....एकड़ सरकारी भूमि का अन्तरण।

परियोजना के लिये...एकड़ वन भूमि का अन्तरण।

अन्तर्वलित होंगे।

अपेक्षक निकाय (नाम का कथन करें) द्वारा सहमत प्रतिकर के निबंधन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लाभ और सामाजिक समाघात शमन के उपाय संलग्न है।

ग्राम सभा यह भी कथन करती है कि कोई सहमति वनों पर और वन भूमि पर उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार, जिसमें वह वन भूमि, जिस पर वे कृषि कर रहे हैं, के लिये उनका हक, लघु वन उत्पाद का उपयोग करने वाले सभी प्रकार के लिये स्वामित्व हक और अपने समुदाय वन की सुरक्षा करने और प्रबंध करने के लिये हक सम्मिलित है। (टीपः यह ग्राम सभा द्वारा अलग से प्रमाणित करना होगा।)

....

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान और तारीख

....

संकल्प प्राप्त होने पर पदाभिहित

जिला अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख

प्ररूप–तीन

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 20 देखिये)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण–
   - (क) कुल जनसंख्या (एक) पुरूष (दो) महिला
   - (ख) बच्चों की संख्या (एक) पुरूष (दो) महिला
   - (ग) जातिवार जनसंख्या (एक) अ.ज.जा. (दो) ज.जा. (तीन) अ.पि.व. (चार) अन्य
   - (घ) धर्मवार जनसंख्या (एक) हिन्दू (दो) मुस्लिम (तीन) सिक्ख (चार) ईसाई (पांच) बौद्ध (छः) अन्य
2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या
4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या
5. निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
7. प्रशासनिक संगठन
8. राजनीतिक संगठन
9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य
10. भूमि का उपयोग– (एक) कृषि भूमि
    (दो) पड़त भूमि
    (तीन) सिंचित एक फसली भूमि
    (चार) सिंचित दुफसली भूमि
    (पांच) असिंचित भूमि
11. जोत का आकार– (एक) लघु कृषकों की संख्या
    (दो) सीमांत कृषकों की संख्या
    (तीन) कुल खातों की संख्या
12. पशुधन– (एक) पशुधन की संख्या
    (दो) दुधारू पशुधन की संख्या
13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार
14. पलायन
15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी
16. खाद्य सुरक्षा
17. अन्य स्थानीय रोजगार
18. मजदूरी दर
19. ऋण तक पहुंच
20. परिवहन एवं सड़क

21. सिंचाई
22. बाजार तक पहुंच
23. पर्यटन स्थल
24. सहकारी संस्थाएं
25. रहन–सहन–
    (एक) धारणाएं, सौंदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाषा
    (दो) गृह
    (तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान
    (चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल
    (पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि)
    (छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)
    (सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा।

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात–
   (क) रोजगार के स्तर और प्रकार
   (ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके
   (ग) आय के स्तर
   (घ) खाद्य सुरक्षा
   (ङ) जीवन निर्वाह का स्तर
   (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण
   (छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच
2. भौतिक संसाधनों पर समाघात–
   (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात
   (ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव
3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात–
   (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता
   (ख) गृह सुविधाओं की क्षमता
   (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव
   (घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली
   (ङ) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात
4. स्वास्थ्य समाघात–
   (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात
   (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात
5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात–
   (क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण
   (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन

(ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन

(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात

(ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप

(च) विस्थापन का तनाव

(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात

6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघातः

(क) पूर्व–संन्निर्माण चरण

(ख) संन्निर्माण चरण

(ग) प्रवर्तन चरण

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

(ङ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

प्ररूप—चार

(नियम 22 (9) देखिये)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना हेतु विषय—वस्तु की सारणी

अध्याय	विषय—वस्तु
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजन (ख) स्थान (ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता (घ) अनुकल्पों पर विचार (ङ) सामाजिक समाघात (च) कमी करने के उपाय (छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित (ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित (ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा (घ) अनुकल्पों की परीक्षा (ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं (च) मूल डिजाइन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार और प्रकार (छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता (ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई) (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट (ञ) लागू किए गए विधान और नीतियां।

दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग (घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित करें।) (ङ) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये)
भूमि अवधारण	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत–नक्शों की सहायता से वर्णन करें (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है, का उपयोग (ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो, तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या (झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले 3 वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग।

प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहाँ अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है– (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है) (एक) किराएदार हैं अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी हैं (दो) अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है (तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी (चार) समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन हैं (पांच) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं (छः) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित हैं (ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है) (ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका
सामाजिक, आर्थिक और साँस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जन साँख्यिकी ब्यौरा (ख) आय एवं गरीबी स्तर (ग) दुर्बल समूह (घ) भूमि उपयोग और जीविका (ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप (च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और साँस्कृतिक संगठन (ज) प्रशासनिक संगठन (झ) राजनैतिक संगठन (ञ) समुदाय–आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन (ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं (ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

सामाजिक समाघात	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढाँचा और दृष्टिकोण। (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहाँ लागू हो– आकलित समाघात। (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न–विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहाँ तक, जहाँ शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्ष। (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।
निर्देश एवं प्ररूप	निर्देश और आगे सूचना हेतु

प्ररूप–पांच

(नियम 20 (क) देखिये)

1. शासन से भू–अर्जन हेतु का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, सामाजिक समाघात इकाई द्वारा यथाशीघ्र संदर्भ के निर्बंधन (टीओआर) तैयार किये जायेंगे, जिसमें सामाजिक समाघात निर्धारण के बजट का समावेश होगा।

2. संदर्भ के निर्बंधन (टीओआर) में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी–

   (क) परियोजना का संक्षिप्त विवरण

   (ख) परियोजना हेतु अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार

   (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण के उद्देश्य तथा वे सभी गतिविधियाँ, जिनका क्रियान्वयन सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किया जायेगा।

   (ध) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु क्रमबद्ध, अनुसूची एवं समय सीमा में सौंपने की तिथियां।

   (ङ) ग्राम सभा एवं/या भूमि स्वामी की सहमति की अपेक्षित आवश्यकता।

   (च) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का समुचित आकार तथा प्रोफाइल।

   (छ) संदर्भ के निर्बंधन (टीओआर) के आधार पर परियोजना विनिर्दिष्ट बजट सहित प्रत्येक मद या गतिविधि हेतु व्ययों की पृथक–पृथक जानकारी।

   (ज) सामाजिक समाघात निर्धारण दल की निधि का भुगतान किये जाने हेतु अनुसूची।

3. सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु शुल्क, समय–समय पर पुनरीक्षित एवं परिवर्तनीय होगा।

Naya Raipur, the 10th December 2015

NOTIFICATION

No. F 4-28/Seven-1/2014.— The following draft of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assesment, Consent and Public Hearing) Rules, 2015, which the State Government in exercise of the powers conferred by Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), proposes to make, is hereby, published as required by Section 112 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before specified period, in office hours by the office of the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhavan, Mantralaya, Naya Raipur (Room S2-21), shall be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

CHAPTER-I

GENERAL

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Chhattisgarh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assesment, Consent and Public Hearing) Rules, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "**Act**" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013);

(b) "**Form**" means the Form appended to these rules;

(c) "**Section**" means section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

PROPOSAL OF REQUIRING BODY

3. **Submission of Proposal.** - Requiring Body shall submit its proposal for acquisition of land for public purpose along with copies of land record of concerning land.

4. **Cost of Acquisition.** - Requiring Body shall deposit cost of acquisition as per sub-clause (vi) and (vii) of clause (i) of Section 3 of the said Act to Collector.

5. **Information to be submitted with the proposal.** - After complying with provisions of rule 4 and 5, Requiring Body shall submit following information along with the proposal :-

(i) Public purpose which will be fulfilled by such acquisition;

(ii) Estimated numbers of families which will be affected by the acquisition;

(iii) Government land, buildings and other assets affected by acquisition;

(iv) Private land, buildings and other assets affected by land acquisition;

(v) The area to be aquired is the minimum area for the proposed project;

(vi) Certificate regarding that no alternative site is available for the project;

(vii) Social impact of the project, remedies thereof and the estimated cost of the same; and

(viii) A comparative study of the cost of project and benefits thereof.

CHAPTER-III

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

6. **Social Impact Assessment study.** — After receiving proposal from Requiring Body, if appropriate Government thinks it is necessary to aquire land for public purpose, all the cases relating to title of land in affected area shall be resolved and concerning land records shall be updated.

7. **Issuance of Notification.** - Collector shall issue a notification in Form-1 within one month from the date of receiving money under rule 4.

8. **Notification to be made available in concerned local bodies.**- Notification issued under rule 7 shall be made available in the concerned local bodies (i.e. Gram Panchayat, Nagar Panchayat, Municipalty and Municipal Corporation) and in the offices of District Collector, Sub-Divisional officer and Janpad Panchayat. The same shall also be published in the affected area by affixing posters at conspicuous places and by announcement (munadi).

9. **Public hearing.** - Public hearing shall be conducted in the affected area by giving adequate publicity in two daily news papers circulating in the locality of such area after socilal impact assesment, of which one shall be in local language of affected area:

Provided that the consent of the concerned Gram Sabha shall be obtained in Scheduled Areas.

10. **Notification under Section 4 of the Act to be uploaded in the official website of the concerned District.** - Notification issued under Section 4 of the Act shall also be uploded in the official website of concerned Distirict. It shall be the duty of the Collector to ensure that the uploaded notification is correct and authentic.

11. **Constitution of Social Impact Assessment Team. –** Collector shall be responsible for appointing the Social Impact Assessment team for each project inclusive of the following persons, namely -

(a)	Non-governmental social scientist	- One
(b)	Representatives of local bodies	- Two
(c)	Rehabilitation expert	- One
(d)	Technical expert in the subject relating to the project	- One
(e)	Tahsildar of the affected area	- One

12. **Requiring Body to be responsible under rule 5. –** Requiring Body shall be responsible for the correctness of information given under rule 5.

13. **Submission of Social Impact Assessment Report. –** The team appointed under rule 11 shall submit Social Impact Assessment Report to the Appropriate Government within six months from the date of notification issued under sub-section (1) of Section 4 of the Act.

14. **Submission of consent of affected persons. –** The team appointed under rule 11 shall also submit consent of the affected persons as per first proviso to sub-section (2) of Section 2 of the Act.

15. **Consent to be obtained in Form-II. –** Consent of the affected person shall be obtained in Form-II.

16. **Provisions of Schedule I and II of the Act to be explained to affected persons. –** Before obtaining consent of affected persons under rule 15, provisions of Schedule I and II of the Act shall be expalined to affected persons.

17. **Consented value of land not to be less than market value. –** The consented value of land under clause (c) of sub-section (1) of Section 26 of the Act shall be the actual market value of the land or guide line rates fixed by the Collector, whichever is more.

18. **Amount of compensation not to be less than consented value. –** The amount of compensation shall not be less than the consented value as per rule 17 in any case.

19. Institutional support and facilitation for Social Impact Assessment. – (1) The Appropriate Government shall identify or establish an independent unit which shall be responsible for ensuring that Social Impact Assessments are commissioned and conducted by person or bodies other than the Requiring Body as per the provisions of the Act.

(2) The Social Impact Assessment Unit shall undertake the following tasks, namely:-

(a) Build a database of expert Social Impact Assessment Resource Partners and Practitioners which will serve as a network of individuals and institutions.

(b) Respond immediately to Social Impact Assessment proposal of Appropriate Government.

(c) Conduct training and capacity building programmes for Social Impact Assessment teams and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials as required.

(d) Provide necessary help and support as required by the Social Impact Assessment team.

(e) Continuously take measures for improving the quality of Social Impact Assessment.

20. Project-specific Terms of Reference and Processing Fee for the Social Impact Assessment. – Where the Appropriate Government intends to aquire the land for public purpose, the proposal for such land acquisition shall be sent along with all the relevant documents to the unit appointed under rule 19(1), which shall:-

(a) prepare a detailed project specific term of reference for each proposal of land acquisition, listing the activities that must be carried out indicating the appropriate team size (number of team members) and profile of the team members and also attach the particulars of Form-V and last date for report submission.

(b) Determine an estimated Social Impact Assessment fee with clear break-up of cost for each particular activity:

Provided that the fee amount estimated shall not be less than the minimum amount fixed by Appropriate Government. If amount deposited by Requiring Body under rule 4 is less than the cost of conducting Social Impact Assessment, Requiring Body shall deposit the difference amount.

21. Selection of the Social Impact Assessment team. — (1) The Social Impact Assessment Unit shall determine the qualified individuals/institutions from among the registered individuals/institutions for the purpose, to be included in the Social Impact Assessment team for each project :

Provided that no person belonging to the Requiring Body shall be included in this team.

(2) All the members of Social Impact Assessment team shall give an undertaking that he/she or his/her family members are directly or indirectly not concerned with the activities of Requiring Body.

(3) If at any stage, it is found that any member or any family member of the team directly or indirectly receives any benefit from the Requiring Body, that member shall be disqualified.

(4) Independent practitioners, qualified social activists, academicians, technical experts shall be included in the team.

(5) There shall be at least one female member in the team.

(6) One team leader shall be appointed from the Social Impact Assessment team.

22. Process of conducting the Social Impact Assessment.— (1) The Social Impact Assessment team shall collect and analyse quantitative and statistical data of affected area, undertake site visits, use participatary methods such as focused group discussions and personal interveiws in preparing Social Impact Assessment Report.

(2) All relevant reports and feasiblility studies shall be made availabe to Social Impact Assessment team, as required. It shall be the duty of the Collector to ensure that any request for information from Social Impact Assessment team is met at the earliest, not exceeding ten days.

(3) A detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the Social Impact Assessment team. The assessment shall determine the following, namely:-

(a) area of impact under the proposed project, including both land to be acquired and areas that will be affected,the environmental social or other impacts of the project;
(b) details of the land proposed to be acquired for project;
(c) the land proposed for aquisition is the bare minimum required area for the project;
(d) possible alternative sites for the project and their feasibility;
(e) whether, the land proposed for aquisition in Schedule Area is a demonstrable last resort;
(f) land, if any, already aquired by any means, and the intended use for each plot of land required for project;
(g) the possibility of use of any public, unutilised land for the project and whether any of such land is under occupation;
(h) nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, the irrigation coverage for the said land;
(i) the special provisions with respect to food security have been adhered to in the proposed land aquisition;
(j) size of holdings (marginal and small farmers), number of residential houses, and public and private infrastructure and assets; and
(k) land price, transfer and use of land over the last three years.

(4) Social Impact Assessment team shall, after physical verification of land records, enumerate the actual number of displaced persons and families.

(5) A socio-economic and cultural profile of the affeted area must be prepared, based on available data and held visits and consultations in Form-III:

Provided that in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and their current resident population shall be indicated.

(6) Based on the data collected and the extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project, the manner of land acquisition shall be as prescribed in Form-III.

(7) (a) The Social Impact Assessment process includes the prepration of a Social Impact Management Plan, which will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified.

(b) The Social Impact Assessment team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs, timelines and capacities.

(c) The Social Impact Managment Plan shall include the following measures:-

(i) particulars specified in terms of rehabilitation, resettlement and compensation of all the categories of affected families as outlined in the Act;

(ii) that the Requiring Body has stated that it will undertake in the project proposal and other relevant project documents; and

(iii) additional measures undertaken by requiring body during the Social Impact Assessment process and public hearing.

(8) The Social Impact Assessment must provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

(9) The subject-matter contained in Form-IV shall be there in Social Impact Assessment Report and Social Impact Managment Plan.

CHAPTER-IV

PUBLIC HEARING

23. Process for conducting public hearings.— (1) Public hearing shall be held in the affected areas seeking feedback on the finding of social impact and to seek additional information and views which shall be recorded and incorporated in the final report.

(2) Public hearing shall be conducted in all Gram Sabhas or wards where more than 25 percent of the members are directly or indirectly affected by the acquisition of land.

(3) The notice indicating date and venue of the public hearing must be published three weeks in advance by way of affixture at conspicuous places in the village/ward and announcement (munadi). A copy of notice shall be published in the office of the District Collector, Sub-Divisional Magistrate and Tehsildar and shall also be uploaded on the website of the State Government.

(4) Minimum number of adult member fixed by Chhattisagarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) for Gram Sabha and twenty-five percent of adult members of ward shall constitute the quorum for meeting. If in the first meeting the quorum is not present, thereafter in subsequent meetings quorum shall not be necessary.

(5) The draft Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan in the form of booklet shall be circulated by the Requiring Body in the affected area in local language and shall be displayed by projector in Public Hearing.

(6) A member of the Social Impact Assessment team shall be nominated to facilitate the public hearing which shall be organized by the district administration through the concerned land acquisition officer.

(7) All the proceedings shall be held in Hindi and a local language to ensure that the participants understand and are able to express their views.

(8) Land acquisition officer or his representative shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

(9) Public representatives, local non-governmental organizations, other concerned persons and media shall also be invited to attend the public hearings.

(10) The proceedings of the public hearing shall be video recorded and the recording shall be submitted along with the final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

(11) Objections raised during public hearing shall be recorded and the Social Impact Assessment team shall ensure that the every such objection is considered and taken to the Social Impact Assessment Report.

(12) After conclusion of the public hearings, the Social Impact Assessment team shall analyse the entire feedback received and information gathered in the public meetings and incorporate the gist along with their analysis, in the Social Impact Assessment Report to be submitted to the State Social Impact Assessment Unit.

24. Publication of Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. – The Social Impact Assessment and Social Impact Management plan shall be published by way of affixture at conspicuous places in the village/ward and announcement (munadi). A copy of notice shall also be published in the office of the District Collector, Sub-Divisional Magistrate, Tehsildar and shall also be uploaded on the website of the State Government.

25. Appraisal of Social Impact Assessment by an expert group.– The expert group constituted under sub-section (1) of Section 7 of the Act shall evaluate the Social Impact Assessment Report and shall make its recommendation to the effect within a period of two months.

26. Consideration of recommendations of the expert group.- The Appropriate Government may consider the recommendations' of the expert group to ensure :-

(a) Minimum displacement;

(b) Minimum disturbance to the infrastructure;

(c) Minimum effect on environment.

27. Publication of notification and declaration.- After considering the recommendation of the expert group, the Appropriate Government shall publish its decision in prescribed format, in the Official Gazette under Section 19 of the Act, such publication shall only be done after the deposit of cost of acquisition by Requiring Body.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

FORM-I

(See rule 7)

Office of the Collector and ex-offcio Dy. Secretary, Department of Revenue and Disaster Management.

NOTIFICATION

Under Section 4 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with rule 7

The State Government intends to acquire the land mentioned in Schedule below for public purpose, namely :-

District	Tahsil	Village/Town	Area	Details of public purpose

To carry out Social Impact Assesment for the aquisition of above mentioned land a public hearing is being held on----------------------(date)------------at (Time) ------------- (Place). Other details of proposed land aquisition are given below:-

(i) Brief of public purpose.
(ii) Number of Families affected directly.
(iii) Number of Families affected indirectly.
(iv) Estimated number of private buildings and other assets in affected area.
(v) Estimated number of Government buildings and other assets in affected area.
(vi) Whether proposed aquisition is bare minimum?
(vii) Whether possible alternative site and its feasibility has been considered?
(viii) Total cost of the project.
(ix) Benefits from the project.
(x) Remedy for compensation of proposed social impact and approximate expenditure.
(xi) Other factors affected by project.

Any other information/suggestion by any individual /institution or any other person regarding above land aquisition may be given at prescribed date /time and place.

District Collector

FORM-II

(See rule 15)

Part-A- Prior Written Consent/Declaration Form

S.No.	Details of person Concerned		
1.	Name of the persons(s) as per section 3(c) (i) & (v) of the Act:		
2	Name of the spouse:		
3	Name of Father/Mother:		
4	Address:		
5	Village/Basti:		
6	Gram Panchayat/Municipality/Township:		
7	Tahsil/Taluka:		
8	District:		
9	Name of other members in the family with age: (including children and adult dependants)		
10	Extent of land owned:		
11	Area for the acquisition:		
12	Plot No:		
13	Record of Rights:		
14	Disputed lands, if any		
15	Pattas/leases/grants, if any:		
16	Any other right, including tenancy, if any:		
17	Regarding the acquisition of my land by the Government, I wish to state the following (please circle)		
	(i) I have read/readout the contents of this consent form and explained to me in------------------ language and	Yes	No
	(ii) I do not agree to this acquisition	Yes	No
	(iii) I agree to this acquisition	Yes	No

Signature or Thumb impression of the
affected family(s) and date.

18	The terms and conditions of Rehabilitation and Resettlement, Compensation and other terms and conditions must be attached to the Form	

Date and Signature of designated district official receiving the signed form.

	It is a crime under law to threaten any person or to cause them any harm if they refuse to consent or if they choose to state that they do not consent on this form. This includes any threat or act that causes them to lose money, that hurts them physically or that results in harm to their family. If any such threat has been made this form is null and void.	

PART -B- Format for Gram Sabha Resolution

We, the undersigned members of the Gram Sabha of ---------------- within------------panchayat of ----------------tehsil/taluka in ----------------district wishes to state that the following certification is based on the information supplied by the administration and officials. If this information is incomplete or incorrect or if any consent has been obtained through any use of threats, fraud or misrepresentation, it is null and void. On this basis, this Gram Sabha hereby certifies that it CONSENTS/REFUSES TO CONSENT to the proposed --------------------project, which will involve;

-------acquisition of----------------acres of private land.
------- transfer of------------------ acres of government land to the project.
------- transfer of---------------- acres of forest land to the project.

The terms and conditions of compensation, rehabilitation and resettlements benefits and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) are attached.

The Gram Sabha also states that any consent is subject to all of its residents receiving title to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their titles for forest land that they use, and titles to protect and manage their community forests. (Note: This will have to be certified by this Gram Sabha separately.)

Date and signatures/thumb impressions of Gram Sabha members

Date and Signature of designated district officer on receipt of the Resolution

FORM –III

Social Impact Assesment Report

(See rule 20)

1. Demographic details of Project Area-
   (a) Total population (i) Male (ii) Female
   (b) Number of child (i) Male (ii) Female
   (c) Castewise population (i) ST (ii) SC (iii) OBC (iv) Other
   (d) Religion wise population (i) Hindu (ii) Muslims (iii) Sikh (iv)Christian (v) Bhuddhist (vi) Other

2. Number of Families below poverty line
3. Number of old age pensioners
4. Number of Nirashrit pensioners
5. Number of Illiterate Males and Females
6. Social and cultural organisation
7. Administative organisation
8. Political organisation
9. Civil society organisation and social member
10. Land use-
    (i) Agricultural land
    (ii) Fallow Land
    (iii) Irrigated single crop land
    (iv) Irrigated double crop land
    (v) Unirrigated land
11. Size of holdings-
    (i) Number of small farmers
    (ii) Number of marginal farmers
    (iii) Number of total holdings

12. Live stock-
    (i) Number of cattles.
    (ii) Number of Milking cattles
13. Direct and Indirect work and employment
14. Migration
15. Participation of women in emplyoment.
16. Food security
17. Other local employment
18. Wage rates
19. Access to credit
20. Roads and Transport
21. Irrigation

22. Access to market
23. Tourist sites
24. Co-operative associations
25. Living style-
    (i)Perceptions, aesthetic qualities attachments and aspirations
    (ii) Houses
    (iii) Community and Civic spaces
    (iv) Sites of religious and cultural measuring
    (v) Physical infrastructures (i.e. water supply, sewage system etc.)
    (vi) Public service infrastrutures (i.e. Schools, health facilities, angan badi, public distribution system, etc.)
    (vii) Security, crime and violence.

Key Impact Area

1. Impact on land, livelihoods and income-
    (a) Level and type of employment
    (b) Intra household employment patterns
    (c) Income levels
    (d) Food security
    (e) Standard of living
    (f) Access and control to productive resorces
    (g) Women's access to livelihood alternatives

2. Impact on physical resources-
    (a) Impact on natural resources (i.e., soil, air, water, forest)
    (b) Pressures on land and common property natural resources for livelihood.
3. Impact on private assests, public services and utilities-
    (a) Capacity of existing health and educational facilities.
    (b) Capacity of housing facilities
    (c) Pressure on supply of local services
    (d) Adequacy of electricity and water supply, roads, sanitation and waste management system
    (e) Impact on private assests such as bore wells etc.
4. Health impact-
    (a) Impact on women's health
    (b) Impact on elderly's health
5. Impact on cultural and social cohesion-
    (a) Transformation of local political structure
    (b) Demographic changes
    (c) Shifts in the economy, ecology balance
    (d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life

(e) Crime and illicit activities
(f) Stress of dislocation
(g) Impact of separation on family cohesion

6. Impact on diffrent stages of project cycle:
(a) Pre -construction phase
(b) Construction phase
(c) Operation phase
(d) De-commisioning phase
(e) Direct and indirect impacts
(f) Cumulative impacts (impacts of other project in area alongwith the identified impacts of the project in question)

FORM-IV

(See rule 22(9))

Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan

Chapter	Contents
Executive summary	(a) Project and public purpose (b) Location (c) Size and attributes of land acquisition (d) Alternatives considered (e) Social Impacts (f) Mitigation measures (g) Assessment of social costs and benefits
Detailed project Description	(a) Background of the project, including developers background and governance or management structure (b) Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the Right to Fair Cimpensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (c) Details of project size, location, capacity, outputs, production targets, cost, risks (d) Examination of alternatives (e) Phases of project construction (f) Core design features and size and type of facilities (g)Need for ancillary infrastructural facilities (h) Work force requirements (Temporary and permanent) (i) Details of Social Impact Assessment or Environmental Impact Assessment if already conducted and any technical feasibility reports (j) Applicable legislations and policies

Team composition, approach, methodology and Schedule of the Social Impact Assessment	(a) List of all team members with qualifications,alongwith Gender experts included in the team (b) Description and rationale for the methodology and tools used to collect information for the Social Impact Assessment (c) Sampling methodology to be used (d) Overview of used information or data sources (Detailed reference must be included separately in the forms.) (e) Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public hearings conducted (Details of the public hearings and the specific feedback incorporated into the report must be included in the forms)
Land Assessment	(a) Information from land inventories and primary sources-Describe with the help of the maps (b) Entire area of impact under the influence of the project (not limited to land area for acquisition) (c) Total land requirement for the project (d) Present use of any public, unutilised land in the vicinity of the project area (e) Land (if any) already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project (f) Quantity and location of land proposed to be acquired for the project (g) Nature, present use and classification of land and if land is agricultural, area of irrigation and cropping patterns (h) Size of holdings, ownership patterns, land distribution, and number of residential houses (i) Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last 3 years.

Estimation and enumeration (where required) of affected families and assets	Estimation of the following types of families that are- (a) Directly affected (own land that is proposed to be acquired) (i) Tenants or occupying the land proposed to be acquired (ii) The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights (iii) Dependent on common property resources which will be affected due to acquisition of land for their livelihood (iv)Have been assigned land by the appropriate Governmnet under any of its schemes and such land is under acquisition (v)Have been residing on any land in the urban areas for preceding three years or more prior to the acquisition of the land (vi) Have depended on the land being acquired as a primary source of livelihood for three years prior to the acquisition (b) Indirectly impacted by the project (non affected directly by the acquisition of own lands) (c) Inventory of productive assets and significant lands
Socio-economic and cultural profile (affected area and resettlement site)	(a) Demographic details of the population in the project area (b) Income and poverty levels (c) Vulnerable groups (d) Land use and livelihood (e) Local economic activities (f) Factors that contribute to local livelihoods (g) Kinship patterns and social and cultural organisation (h) Administrative organisation (i) Political organisation (j) Community-based and civil society organisations (k) Regional dynamics and historical change processes (l) Quality of the living environment

Social impacts	(a) Framework and approach to identifying impacts. (b) Description of impacts at various stages of the project cycle such as impacts on health and livelihoods and culture. For each type of impact, separate indication of whether it is a direct or indirect impact, differential impacts on different categories of affected families and where applicable - cumulative impacts. (c) Indicative list of impacts areas includes impacts on land, livelihoods and income, physical resources, private assets, public services and utilities, health, culture and social cohesion and gender based impacts.
Analysis of costs andbenefits and recommendation on acquisition	(a) Final conclusions on assessment of public purpose, less-displacing alternatives, and minimum requirements of land, the nature and intensity of social impacts, the viability of the mitigation measures and the extent to which mitigation measures described in the Social Impact Management Plan will address the full range of social impacts and adverse social costs. (b) The above analaysis will use the equity principle described in Rule as a criteria of analysis for presenting a final recommendation on whether the acquisition should go through or not.
References and Forms	For reference and further information

FORM-V

(See rule 20(a))

1. The Social Impact Assessment Unit shall prepare a Term of Reference as soon as the proposal for land acquisition is recieved from Government showing budget of Social Impact Assessment.

2. The Terms of Reference shall include the following information-

   (a) A brief discription of the project

   (b) Extent of land proposed for acqusition for the project

   (c) The objectives of the Social Impact Assessment and all activities that must be carried out by the Social Impact Assessment team.

   (d) Sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the Social Impact Assessment process.

   (e) Whether the consent of Gram Sabha and/or land owners is required to be sought.

   (f) The appropriate size and profile of Social Impact Assessment team.

   (g) A project specific budget based on Terms of Reference, with a clear break -up of costs for each item or activity.

   (h) The schedule for the disbursement of funds to the Social Impact Assessment team.

3. The fee for Social Impact Assessment shall be revisable and reviewable from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.